कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी
फ़ोन + 91-542-2502655/2502644, फैक्स-91-542-2501450, ईमेल-sspvns-up@nic.in, Facebook-policevaranasi

संख्या: पीआरओ 87/2020 दिनांक: अक्टूबर, 15/2020

प्रेस नोट

आज दिनांक 15-10-2020 को प्रभारी निरीक्षक कैण्ट राकेश कुमार सिंह व उ0नि0 बनारसी यादव चौकी प्रभारी अर्दली बाजार द्वारा मय हमराह पुलिस बल के देखभाल क्षेत्र, चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन/गस्त के दौरान समय करीब 01.05 बजे टकटकपुर गैस गोदाम के पास अर्दली बाजार से एक शातिर चोर विशाल उर्फ बीडी को 01 अदद नाजायज तमंचा-.315 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस-.315 बोर के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। उक्त घटना के सम्बन्ध में थाना कैण्ट पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ विवरण-

पूछताछ के दौरान अभियुक्त विशाल उर्फ बीडी ने बताया कि मैं रात्रि में खाली घरों को टारगेट करके चोरी करता हूं। मैं चोरी के मामले में थाना कैण्ट से पहले भी जेल जा चुका हूं। मुझे यह नाजायज तमंचा व कारतूस मेरे एक करीबी मित्र ने दिया था, जिसे मैं शौक के लिये अपने पास रखता था। आज मैं गैस गोदाम के पास खड़ा होकर एक मित्र का इन्तजार कर रहा था जिसके साथ खाली घरों को चिन्हित कर चोरी करने की फिराक में था। आप लोगों की गाड़ी देखकर भागना चाहा कि आप लोगों द्वारा मुझे पकड़ लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

- विशाल उर्फ बीड़ी पुत्र भरत लाल निवासी एस-25/346 सरसौली भोजूबीर थाना कैण्ट जनपद वाराणसी।

बरामदगी का विवरण-

- 01 अदद नाजायज तमंचा-.315 बोर।
- 02 अदद जिन्दा कारतूस-.315 बोर।

आपराधिक इतिहास-

- मु0अ0सं0-661/2020 धारा 379/411/504/506 भादवि थाना कैण्ट वाराणसी।
- मु0अ0स0 0794/2020 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कैण्ट वाराणसी।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- प्रभारी निरीक्षक कैण्ट-राकेश कुमार सिंह, उ0नि0 बनारसी यादव-चौकी प्रभारी अर्दली बाजार, उ0नि0 अशोक कुमार यादव, का0 रामानन्द यादव, का0 शैलेश यादव व का0 देवेन्द्र यादव थाना कैंण्ट वाराणसी।

प्रभारी निरीक्षक
सोशल मीडिया सेल
जनपद वाराणसी।

वाराणसी पुलिस : आपकी अपनी पुलिस

कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी

फ़ोन + 91-542-2502655/2502644, फैक्स-91-542-2501450, ईमेल-sspvns-up@nic.in, Facebook-policevaranasi

संख्या: पीआरओ 88/2020 दिनांक: अक्टूबर, 15/2020

प्रेस नोट

आज दिनांक 15.10.2020 को थाना कोतवाली के उ0नि0 प्रीतम कुमार तिवारी मय हमराह पुलिस बल के देखभाल क्षेत्र, शांति व्यवस्था ड्यूटी, चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन में लोहटिया तिराहे पर मौजूद थे कि जरिए मुखबिर सूचना मिली कि मु0अ0सं0-127/2020 धारा-379,411 भादवि से सम्बन्धित चोरी हुई ई-रिक्शा संख्याः यूपी-65 जेटी-8015 को एक व्यक्ति चौकाघाट चौराहे के पास लेकर खड़ा है, यदि जल्दी किया जाए तो पकड़ा जा सकता है। मुखबिर द्वारा प्राप्त सूचना पर विश्वास करके उपनिरीक्षक द्वारा मय हमराह पुलिस बल के चौकाघाट चौराहे पर पहुँचकर उक्त ई-रिक्शा के चालक को समय करीब 07.00 बजे गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके कब्जे से चोरी की ई-रिक्शा संख्याः यूपी-65 जेटी-8015 बरामद हुआ । उक्त घटना के सम्बन्ध में थाना कोतवाली पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

- अजय कुमार डे पुत्र रतन कुमार डे निवासी सूजाबाद नई बस्ती अनिल बाबा आश्रम के पास थाना रामनगर वाराणसी उम्र करीब 30 वर्ष ।

बरामदगी का विवरण-

➢ चोरी की ई-रिक्शा संख्याः यूपी-65 जेटी-8015 लाल रंग।

<u>*गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-*</u>

➢ उ0नि0 प्रीतम कुमार तिवारी- प्रभारी चौकी कबीरचौरा व का0 दिनेश यादव थाना कोतवाली जनपद वाराणसी।

प्रभारी निरीक्षक
सोशल मीडिया सेल
जनपद वाराणसी।

कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी
फ़ोन + 91-542-2502655/2502644, फैक्स-91-542-2501450, ईमेल-sspvns-up@nic.in, Facebook-policevaranasi

संख्या: पीआरओ 89/2020 दिनांक: अक्टूबर, 15/2020

प्रेस नोट

दिनांक 14-10-2020 को थाना चौबेपुर के उ0नि0 कुँवर अंशुमान सिंह द्वारा मय हमराह देखभाल क्षेत्र, चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन/गस्त के दौरान मु0अ0सं0-498/2020 धारा-341/326/307 भादवि से सम्बन्धित अभियुक्त मनीष यादव पुत्र दिनेश यादव निवासी ग्राम छितौना थाना चौबेपुर वाराणसी को उसके घर से समय करीब 17.30 बजे गिरफ्तार कर लिया गया। उक्त घटना के सम्बन्ध में थाना चौबेपुर पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

- मनीष यादव पुत्र दिनेश यादव निवासी ग्राम छितौना थाना चौबेपुर वाराणसी उम्र करीब 28 वर्ष।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- उ0नि0 कुँवर अंशुमान सिंह व उ0नि0 कृष्ण मोहन पासवान थाना चौबेपुर जनपद वाराणसी।

प्रभारी निरीक्षक
सोशल मीडिया सेल
जनपद वाराणसी।

वाराणसी पुलिस : आपकी अपनी पुलिस

कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी

फ़ोन + 91-542-2502655/2502644, फैक्स-91-542-2501450, ईमेल-sspvns-up@nic.in, Facebook-policevaranasi

संख्या: पीआरओ 90/2020 दिनांक: अक्टूबर, 15/2020

प्रेस नोट

जनपद वाराणसी में कोविड-19 महामारी से बचाव हेतु जारी आदेशों के अनुपालन के क्रम में वाराणसी पुलिस द्वारा विभिन्न थाना क्षेत्रों में अनावश्यक घूम रहे, गैर जरुरी तौर से होटल/गेस्ट हाऊस/दुकानें खुली रखने वाले संचालकों, कालाबाजारी करने वालों व राज्य सरकार द्वारा जारी गाईड लाईन से सम्बन्धित नियमों की अवहेलना करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध सख्ती बरतते हुए आज दिनांक 15-10-2020 को विभिन्न थानों द्वारा कार्यवाही करते हुए *कुल 19 व्यक्तियों के विरुद्ध धारा-151 सीआरपीसी* के अन्तर्गत निरोधात्मक कार्यवाही करते हुए गिरफ्तार किया गया तथा *72 व्यक्तियों के विरुद्ध धारा-188 चालानी रिपोर्ट व धारा-51 आपदा प्रबन्ध अधिनियम* के अन्तर्गत कार्यवाही की गयी। जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों, 14 बार्डर प्वाइंट व 49 पुलिस नाकों पर सघन चेकिंग अभियान चलाते हुए *कुल 1800 वाहनों का चालान, 07 वाहनों को सीज तथा 209 वाहनों से रु0-1,69,200/- समन शुल्क वसूल* किया गया।

जनपद वाराणसी में कोविड-19 महामारी से बचाव हेतु जारी आदेशों के अनुपालन के क्रम में वाराणसी पुलिस द्वारा विभिन्न थाना क्षेत्रों में अनावश्यक घूम रहे, व्यक्तियों के विरुद्ध सख्ती बरतते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी के आदेशानुसार आज दिनांक 15-10-2020 को जनपद वाराणसी राज्य सरकार द्वारा जारी गाईड लाईन से सम्बन्धित नियमों का उल्लंघन करने वाले तथा बिना मास्क पहने घूम रहे व्यक्तियों के विरूद्ध अभियान चलाकर बिना मास्क धारण किये *कुल 1542 व्यक्तियों से रु0-65,900/- जुर्माना* जमा कराया गया।

प्रभारी निरीक्षक
सोशल मीडिया सेल
जनपद वाराणसी।